



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में गैर-इरादतन हत्या करने के आरोपी विनोद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2021 में अभियुक्त विनोद पुत्र महीपाल निवासी ग्राम मुकुन्दपुर भगोटी थाना बालैनी जनपद बागपत द्वारा गैर-इरादतन हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 116/2021 धारा 304 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 09.02.2029 को मा0 न्यायालय जिला जज जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त विनोद को दोषी पाते हुए 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice



श्री राजीव एडीजीसी जनपद बागपत



मुख्य आरक्षी विनोद कुमार कोर्ट
पैरोकार थाना बालैनी



Baghpat Police



BAGHPAT POLICE



थाना बिनौली, जनपद बागपत

थाना बिनौली द्वारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के दौरान गलती से कटी 07 हजार रुपये की धनराशि त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित को वापस कराई गई-

1-पीड़ित/आवेदक श्री विश्वास पुत्र सुधीर निवासी कसबा व थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा NCRP पोर्टल पर ACKNOWLEDGEMENT नं0 23101260016961 पर 7000 रुपये खाते से कटने की शिकायत की गयी। जिसके फलस्वरूप साइबर हेल्पडेस्क, थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा शिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, पीड़ित की सम्पूर्ण धनराशि 7000 रुपयों को वापस कराया गया।



रुपये वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा थाना बिनौली जनपद बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र०सं०	थाना	प्रा०पत्रसं०	वापस करायी गयी धनराशि
1	बिनौली	23101260016961	7000/-





प्रेस नोट जनपद बागपत

दिनांक 09.02.2026

बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सराफत पुत्र दीन मौहम्मद निवासी ग्राम सिलाना थाना छपरौली बागपत
- 2-प्रदीप पुत्र शिवदान सिंह निवासी गाँव फरफाना थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- थाना छपरौली पुलिस टीम । (01 वारंटी)
- 2- थाना बडौत पुलिस टीम । (01 वारंटी)





BAGHPAT POLICE



थाना खेकडा साइबर सेल टीम, जनपद बागपत

थाना खेकडा साइबर सेल, जनपद बागपत के द्वारा एक व्यक्ति के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन ठगी किये 354000/-रुपये की धनराशि में से 169201/-रुपये वापस कराये गये-

1-पीडित मनीष कुमार पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम फखरपुर थाना खेकडा जनपद बागपत के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा 354000/- रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली गयी थी। जिसके सम्बन्ध में आवेदक में NCRP पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गयी थी,



जिसका ACKNOWLEDGEMENT नं० 33112250180547 है। शिकायत प्राप्त होने पर थाना खेकडा साइबर सेल टीम प्रभारी उ०नि० श्री नितिन कुमार द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, पीडित के बैंक खाते से ठगी हुई 354000/- रुपये की धनराशि में से 169201/- रुपये वापस कराया गया।

रुपये वापस मिलने पर पीडित द्वारा थाना खेकडा जनपद बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र०सं०	थाना	प्रा० पत्र सं०	वापस करायी गयी धनराशि
1	थाना खेकडा	33112250180547	169201/-



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक – 09.02.2026

थाना रमाला पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1. दिलशाद पुत्र आलम निवासी ग्राम असार थाना रमाला जनपद बागपत ।
2. इरसाद पुत्र आलम निवासी ग्राम असार थाना रमाला जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री कृपेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत
- 2-है०का० 819 दोसेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत
- 3-हो०गा० 542 राजकुमार थाना रमाला जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनांक- 09.02.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 मय एक जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

वीरकमल पुत्र रामकुमार उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम कमाला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण -

- एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतुस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री शीलेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री धीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 546 विपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

